कम्बाइण्ड प्री–आयुष टेस्ट (सी॰पी॰ए॰टी॰) 2017
आयोजक : लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ
उत्तर–प्रदेश राज्य के बी॰ए॰एम॰एस॰, बी॰यू॰एम॰एस॰, बी॰एच॰एम॰एस॰ पाठ्यक्रम
(B.A.M.S., B.U.M.S. and B.H.M.S. Courses of U.P.)

1 सामान्य सूचनाएँ

GENERAL INFORMATION

1.1 यह विवरण–पुस्तिका उत्तर–प्रदेश शासनादेश संख्या – 3471/96–आयुष–1–2017–345/2016 दिनाँक 4 सितम्बर, 2017 के अनुसार तथा निदेशक, चिकित्सा शिक्षा, उ॰प्र॰, लखनऊ से विचार–विमर्श कर तैयार की गयी है। विवरण–पुस्तिका तथा शासनादेश में किसी विसंगति की स्थिति में शासनादेश ही मान्य होगा।

1.2 शासनादेश संख्या–3544/716–आयुष–1–2017–345/2016 दिनांक 11 सितम्बर, 2017 के आलोक में भारत सरकार, आयुर्वेद, योग व प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध एवं होम्योपैथी (आयुष) मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्र दिनांक 25 जनवरी, 2017 द्वारा प्रसारित परिपत्र में अवगत कराये गये निर्णय के परिप्रेक्ष्य में शैक्षणिक सत्र 2017–18 की प्रस्तावित (सी॰पी॰ए॰टी॰) प्रवेश परीक्षा में राज्य के निजी क्षेत्र के ऐसे आयुर्वेदिक, यूनानी तथा होम्योपैथी कालेज, जो अल्पसंख्यक संस्था हैं, की सीटों को भी प्रवेश परीक्षा में सम्मिलित किया जायेगा।

1.3 सी॰पी॰ए॰टी॰–2017 के परीक्षाफल के प्रकाशन के पूर्व अथवा बाद में, जब भी आवश्यकता हो, राज्य सरकार को प्रत्येक पाठ्यक्रम की सीटों (जिसमें अनारक्षित श्रेणी की सीटें भी सम्मिलित हैं) में कमी/बढ़ोत्तरी अथवा उनके सम्बन्ध में अन्य कोई भी परिवर्तन करने का अधिकार होगा। साथ ही शासन को आवश्यकता पड़ने पर, किसी भी समय सी॰पी॰ए॰टी॰–2017 से सम्बन्धित आदेशों में संशोधन करने का अधिकार है।

1.4 सी॰पी॰ए॰टी॰–2017 परीक्षा से सम्बन्धित समस्त विधिक वाद उ॰प्र॰ के इलाहाबाद उच्च–न्यायालय की लखनऊ खण्ड–पीठ के क्षेत्राधिकार में ही होंगे।

1.6 प्रत्येक अभ्यर्थी को यह स्पष्ट रूप से सूचित किया जाता है कि सी॰पी॰ए॰टी॰–2017 के आयोजन में परीक्षा सम्पादन एवं परीक्षाफल घोषित किये जाने तक का कार्य लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ द्वारा सम्पन्न कराया जायेगा। इस विषय में किसी भी सूचना हेतु निम्नलिखित पते पर सम्पर्क स्थापित करें :–

चेयरमैन (सी.पी.ए.टी.–2017),
लखनऊ विश्वविद्यालय,
लखनऊ (उत्तर प्रदेश)–226007.

1.7 मेरिट सूची में आये छात्रों को विभिन्न अर्ह श्रेणी में उपलब्ध सीटों पर आवंटन शासन द्वारा गठित काउन्सिलिंग बोर्ड के द्वारा काउन्सिलिंग के माध्यम से ही किया जायेगा।

1.8 लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ द्वारा सी.पी.ए.टी.–2017 के लिए कोई भी कोचिंग संस्थान नहीं चलाया जाता है, और न ही ऐसे किसी संस्थान से उसका कोई सम्बन्ध है।

1.9 कालेजों के नाम, सीटों की संख्या, आरक्षण नीति तथा नियम इत्यादि, निदेशक, आयुर्वेद (पाठ्यक्रम एवं मूल्यांकन) उ॰प्र॰, लखनऊ द्वारा निर्धारित की गयी है। इसके लिए परीक्षा–आयोजक संस्था लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ का कोई दायित्व नहीं है।

1.10 सी॰पी॰ए॰टी॰–2017 हेतु आवेदन की प्रक्रिया के दौरान आने वाली किसी भी तकनीकी–समस्या के निदान के लिए आवेदनकर्ता **cpatup2017@gmail.com** पर ई–मेल कर अपनी समस्या का निदान प्राप्त कर सकते हैं।

<u>अस्वीकृति (DISCLAIMER)</u> **:** परीक्षा निकाय, लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ आवेदन–पत्रों की प्राप्ति, प्रवेश–परीक्षा को सम्पादित कराना एवं वरीयता–सूची को तैयार करने हेतु उत्तरदायी है। परीक्षा के उपरान्त जैसे–काउन्सिलिंग, प्रवेश की प्रक्रिया, परीक्षार्थियों के विद्यालय/विश्वविद्यालय/संस्था के चयन सम्बन्धी प्रक्रिया हेतु लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ उत्तरदायी नहीं है। विवरण–पुस्तिका तथा शासनादेश में किसी विसंगति की स्थिति में शासनादेश ही मान्य होगा।

2 महत्वपूर्ण निर्देश

IMPORTANT INSTRUCTIONS

2.1 कृपया सी॰पी॰ए॰टी॰–2017 के आवेदन से सम्बन्धित विवरण पुस्तिका (Brochure) की PDF फाइल को निर्धारित वेबसाइट www.cpatup2017.in से डाउनलोड कर लें। इसका ध्यानपूर्वक अवलोकन करने के उपरान्त ही आवेदन की ऑनलाइन प्रक्रिया सम्पादित करें।

2.2 आवेदन केवल ऑन–लाइन ही स्वीकार किया जाएगा। **कोई भी आवेदन–पत्र डाक द्वारा या व्यक्तिगत रूप से स्वीकार नहीं होगा।** सी॰पी॰ए॰टी॰–2017 की वेबसाइट www.cpatup2017.in पर आवेदन की सम्पूर्ण प्रक्रिया तीन चरणों में सम्पन्न की जानी है।

2.3 आवेदनकर्ता यदि निर्धारित तिथि तक भुगतान या ऑन–लाइन आवेदन नहीं कर पाते अथवा आवेदन सम्बन्धी त्रि–स्तरीय प्रक्रिया (रजिस्ट्रेशन, ऑन–लाइन–आवेदन, आवेदन–शुल्क–भुगतान) के तीनों चरणों की सापेक्षिक प्रक्रिया नहीं सम्पादित करते, तो ऐसी दशा में आवेदनकर्ता का सी॰पी॰ए॰टी॰–2017 में आवेदन सम्बन्धी दावा किसी भी दशा में परीक्षा–निकाय द्वारा पोषणीय/विचारणीय नहीं होगा।

2.4 आवेदन शुल्क (नॉन–रिफण्डेबल) – सामान्य/अन्य पिछड़ा वर्ग आवेदकों के लिए रू॰ 2000/– मात्र एवं अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए रू॰ 1000/– मात्र निर्धारित है। बैंक–ट्रान्जैक्शन–शुल्क (यदि कोई है) आवेदक द्वारा स्वयं वहन करना होगा।

2.5 **इस विवरण–पुस्तिका में उल्लेखित अर्हता–खण्ड के अनुसार ही आवेदक को अपनी पात्रता का आंकलन स्वयं करना होगा। परीक्षा–निकाय आवेदक की पात्रता का आंकलन नहीं करेगा। पात्रता मूल प्रमाण–पत्रों के आधार पर काउन्सिलिंग/प्रवेश के समय ही सुनिश्चित होगी। अयोग्य–पात्र प्रवेश के योग्य नहीं होंगे और वे इसके लिए स्वयं उत्तरदायी होंगे।**

2.6 ऑनलाइन आवेदन–पत्र रजिस्ट्रेशन करने की **अन्तिम तिथि 25–09–2017 है।**

2.7 आवेदन–पत्र में दी जा रही सूचना के आधार पर आवेदक को सी॰पी॰ए॰टी॰ परीक्षा में मांगी गयी श्रेणी के अभ्यर्थी के रूप में बैठने की अनुमति दे दी जायेगी। किन्तु काउन्सिलिंग के समय काउन्सिलिंग बोर्ड द्वारा अभ्यर्थी के मूल–प्रमाणक देखे जायेंगे तथा उनके आधार पर यह निश्चित किया जायेगा कि अभ्यर्थी को आवेदित श्रेणी का लाभ अनुमन्य है अथवा नहीं। केवल इस आधार पर कि सी॰पी॰ए॰टी॰ परीक्षा में बैठने की अनुमति दे दी गयी है, कोई भी अभ्यर्थी आवेदित श्रेणी का लाभ पाने का अधिकारी नहीं हो जायेगा। **जिस प्रमाण–पत्र के आधार पर प्रवेश दिया जायेगा उसके फर्जी पाये जाने पर प्रवेश निरस्त कर दिया जायेगा और उसके स्थान पर नया प्रमाण–पत्र मान्य नहीं होगा।**

2.8 आवेदन–पत्र में लिखी या दी गयी किसी भ्रामक, गलत तथा तथ्यहीन सूचना के प्रकाश में आने पर प्रवेश के पूर्व अथवा प्रवेश के उपरान्त, जैसी भी स्थिति हो, अभ्यर्थी का अभ्यावेदन/प्रवेश निरस्त किया जा सकता है। प्रवेशोपरान्त यह कार्यवाही सम्बन्धित महाविद्यालय के प्रधानाचार्य तथा इससे पूर्व यथास्थिति लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ द्वारा अथवा काउन्सिलिंग बोर्ड द्वारा की जायेगी।

2.9 बायोमेट्रिक पद्धति (शारीरिक चिन्हों जैसे ऊँगली के निशानों अथवा आँखों की पुतलियों द्वारा व्यक्ति विशेष की पहचान की पद्धति) से अभ्यर्थी की पहचान का अनुसरण होगा। चयनित अभ्यर्थी के विरूद्ध किसी भी प्रकार की अवांछित गतिविधि (परीक्षा, काउन्सिलिंग या प्रवेश के पश्चात्) पाये जाने पर अभ्यर्थी का अभ्यर्थन निरस्त किये जाने के साथ ही कानूनी कार्यवाही हेतु उसे पुलिस के सुपुर्द कर दिया जायेगा।

अस्वीकृति (DISCLAIMER) : परीक्षा निकाय, लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ आवेदन–पत्रों की प्राप्ति, प्रवेश–परीक्षा को सम्पादित कराना एवं वरीयता–सूची को तैयार करने हेतु उत्तरदायी है। परीक्षा के उपरान्त जैसे–काउन्सिलिंग, प्रवेश की प्रक्रिया, परीक्षार्थियों के विद्यालय/विश्वविद्यालय/संस्था के चयन सम्बन्धी प्रक्रिया हेतु लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ उत्तरदायी नहीं है। विवरण–पुस्तिका तथा शासनादेश में किसी विसंगति की स्थिति में शासनादेश ही मान्य होगा।